बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार

''जिला स्तरीय''

जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन एवं उसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही को ऑनलाइन अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश

https://www.bmcbihar.in/

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 8प/वि0–05–08/2022/10084/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 20/10/2022

विषयः– 21 नवम्बर, 2022 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम–25 के अनुपालन में जैव विविधता समिति का गठन संपन्न किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली का दिनांक–09.08.2019 को श्री चन्द्र भाल सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य (O.A.No-347/2016) में दिया गया आदेश, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार का पत्रांक–731 (ई0) दिनांक–26.09.2022 एवं विभागीय पत्रांक–7995/पं0रा0 दिनांक–10.12.2019।

महाशय,

1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया, जिसके धारा–63 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक–27.03.2017 को बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई। नियमावली के नियम–25 (प्रति संलग्न) में राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा जन जैव विविधता पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

2. वर्तमान में राज्य के किसी भी जिले से जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विदित हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान बेंच) नई दिल्ली द्वारा प्रासंगिक O.A.No-347/2016 में दिनांक–09.08.2019 को अंकित किया है कि बिहार राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन एवं जन जैव विविधता पंजी के निर्माण की प्रगति शून्य है तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल देने हेतु निम्नवत ओदश पारित किया गया है–

(i) The Chief Secretaries of all States, where the defaults are continuing, may consider giving a warning to the Panchayat Secretaries for their post failures, recording the same in their service record and give direction to the officers who are responsible for the job to ensure compliance with 100% constitution of BMCs and PBRs by 31-01-2020 failing which coercive measures may have to be considered against them. The Chief Secretaries may evolve a mechanism for ensuring a monthly meeting to be attended by the Chairman and Member Secretaries of State Biodiversity Boards, Secretaries, Panchayat, Environment and Forest starting from September. 2019.

(ii) The States will be accountable for the defaults and required to deposit a sum of Rs 10 lakhs per month each from 01.02.2020 with the CPCB to be utilized for

restoration of the environment. The States will be at liberty to recover the said amount from the persons committing the default.

3. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन हेतु निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी जिला पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने जिले के सभी स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु दिनांक–21.11.2022 को एक साथ विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।

वर्णिय समिति के गठन हेतु जैव विविधता नियमावली–2017 के नियम–25 की कंडिकायें सुलभ प्रसंग हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

उक्त बैठक में जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर निर्धारित प्रपत्र (छायाप्रति संलग्न) में अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् पंचायत के सचिव, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला परिषद् मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा तैयार किये गए APP पर उसी दिन Upload कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिये गये निर्देश का अनुपालन अचूक रूप से किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(signature) 19/10/22

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि0–05–08 / 2022 / 10084 **/ पं०रा०,पटना, दिनांक** 20 / 10 **/ 2022**

प्रतिलिपिः–सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

(signature) 19/10/22

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–8प / वि0–05–08 / 2022 / 10084 **/ पं०रा०,पटना, दिनांक** 20 / 10 **/ 2022**

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 19/10/22

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017

नियम– 25. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

1. प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होगा।

2. उप नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष एवं स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

3. जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

4. जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा।

5. विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

   ग्राम पंचायत – पंचायत सचिव
   पंचायत समिति – पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी
   जिला परिषद् – जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
   नगर निकाय – संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

6. जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयार करना होगा जिसमें स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी।

7. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कार्य राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुमोदनार्थ सलाह देना तथा जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना होगा।

8. पर्षद जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा जन जैव विविधता पंजी तथा उसके ब्यौरों के विस्तृत विवरण हेतु प्रपत्र तैयार करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों के लिए प्रपत्र शामिल होगा।

9. जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन करेगी।

10. समिति जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक पंजी में संधारित करेगी जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस उनसे व्युत्पन लाभों, तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि भी सम्मिलित रहेगी।

स्थानीय निकायोंमेंजैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) के गठन हेतु मार्गदर्शिका।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के आलोक में 15 अप्रैल, 2004 को भारत सरकार द्वारा जैव विविधता नियम, 2004 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया।

जैव विविधता नियम–2004 की धारा–22 में उल्लेखित है कि "प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) का गठन करेगी"।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–63 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2017 को बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई। इस नियमावली के नियम–25 में राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा जन जैव विविधता पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 की धारा–25 में "जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन" के संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार है–

25(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होगा।

25(1)(क) स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्यकाल, स्थानीय निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित "परामर्शी समिति" के कार्यकाल तक विस्तारित होगा (अधिसूचना सं०–2/वन्यप्राणी–17/ 2021/969(ई०)प०/व०/ज०/प०, दिनांक–09 दिसम्बर 2021 द्वारा संशोधित)।

(2) उप–नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष एवं स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

(3) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(4) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा।

(5) विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–ग्राम पंचायत–पंचायत सचिव, पंचायत समिति–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद् –जिला परिषद् के मुख्य कार्य पालक पदाधिकारी, नगर निकाय –संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

(6) जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयार करना होगा जिसमें स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनका ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी।

(7) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कार्यो में राज्य जैव विविधता पार्षद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुमोदनार्थ सलाह देना तथा जैविक स्त्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना होगा।

(8) पर्षद, जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा जन जैव विविधता पंजी तथा उसके व्यौरो के विस्तृत विवरण हेतु प्रपत्र तैयार करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों के लिए प्रपत्र शामिल होगा।

(9) जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन करेगी।

(10) समिति जैविक संसाधनों तथा पारस्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक पंजी में संधारित करेगी जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस उनसे व्युत्पन लाभों, तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्ट भी सम्मिलित रहेगी।

जैव विविधता प्रबंधक समिति Biodiversity Management Committee का गठन :–

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 10084 दिनांक 20.10.2022 द्वारा सभी जिला पदाधिकारीयों को निर्देश दिया गया है कि जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु दिनांक 21.11.2022 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाय।

प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति में स्थानीय निकायों द्वारा अधिकतम छः व्यक्तियों को निम्न प्रकार नामित किया जायेगा। जिनमें कम से कम दो महिलाएँ एवं कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

1	अध्यक्ष
2	महिला सदस्य
3	महिला सदस्य
4	अनु० जाति/ अनु० जनजाति सदस्य
5	सदस्य
6	सदस्य
7	सदस्य सचिव

समिति का पदेन सदस्य सचिव, पंचायत सचिव–पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी–पंचायत समिति/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–जिला परिषद होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति के उपरोक्त छः सदस्यों के चुनाव हेतु ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जायेगी जिसकी अध्यक्षता क्रमशः मुखिया (ग्राम पंचायत), प्रमुख (पंचायत समिति), अध्यक्ष (जिला पदिषद्) करेंगे। जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए नामित छः सदस्य अपने एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष चुनेंगे। मतों के बराबर होने की स्थिति में ग्राम सभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही संलग्न प्रपत्र में अंकित होगा जिसे आगे दिए गये विधि से Online upload किया जायेगा।

जिला स्तरीय बी.एम.सी. (जैव विविधता प्रबंधन समिति)

के गठन कार्यवाही को ऑनलाइन अपलोड करने की उपयोग विधि

District Level BMC (Biodiversity Management committee)

User Manual for Online Uploading

*(उपयोगकर्ता - मुख्य कार्यकारी अधिकारी User-Chief Executive Officer)

Step 1:- फॉर्म भरने से पहले निम्न दस्तावेज को अपने कम्प्यूटर में फोल्डर बना कर रख लें।

(a.) इस मार्गदर्शन पुस्तिका का अंतीम पृष्ठ पर अंकित प्रपत्र को भर कर Scan कर रख लें।
(PDF format size 100-200 kb).

(b.) गूगल में जाकर bmcbihar.in टाइप करें।

जिला स्तर के BMC गठन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

“Form-1 User Registration“ (Red button) पर क्लिक करें।

Step 2:- एक फॉर्म खुलेगा, इसमें जिला का चयन करें, इसके बाद अपना नाम, पद भरे, इसके बाद अपना मोबाईल नं0 डालें। आपके मोबाईल पर OTP आएगा जिसे निर्धारित बॉक्स में डालकर मोबाईल नं0 का सत्यापन करें। इसके बाद सेव (Save) बटन पर क्लिक कर डाटा सेव करें।

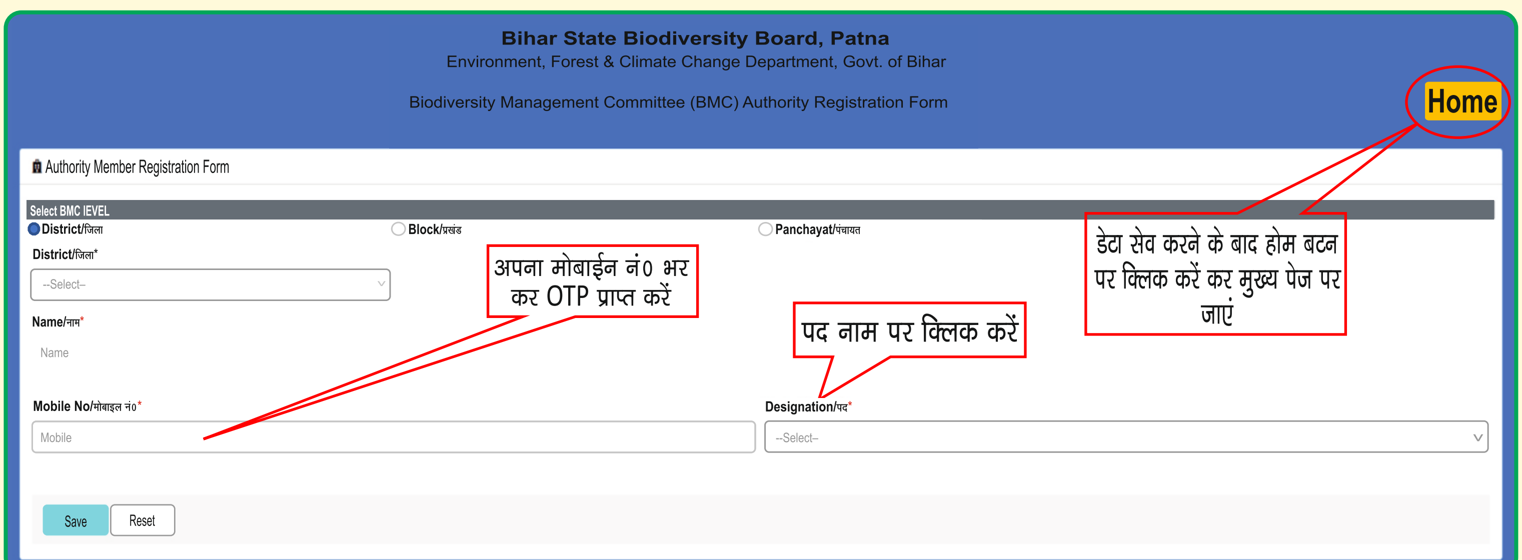

Step 3:- जैव विविधता समिति के सदस्य को जोड़ने के लिए User Registration करने के बाद Home Button (Yellow Button) पर क्लिक करें।
Form-2 (Add Member Details) ग्रीन बटन आयेगा। ग्रीन बटन पर क्लिक करने पर पेज आयेगा।

पेज खुलने के बाद लॉगइन पेज आएगा। इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाईल नं० डालकर OTP प्राप्त करें फिर OTP डाल कर लॉगइन कर लें

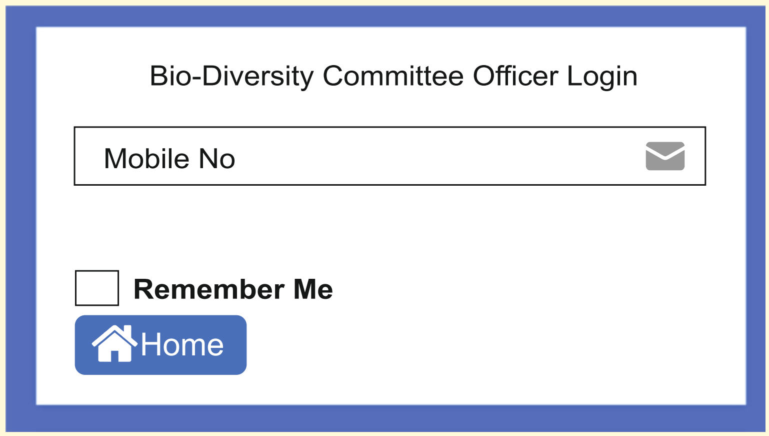

Step 4:- लॉग इन करने के बाद "Add Member" Sky Blue Button पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा। ड्रॉप डाउन से Add Committee Member चुने। इस एक सदस्य का नाम, पता, आयु, जाति, पदनाम भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इसी तरह अन्य सभी सदस्य का नाम आदि भरने के लिए User को Member Details नीचे दिखता जाएगा। इस तरह से सारे सदस्यों की प्रविष्ट कर लें।

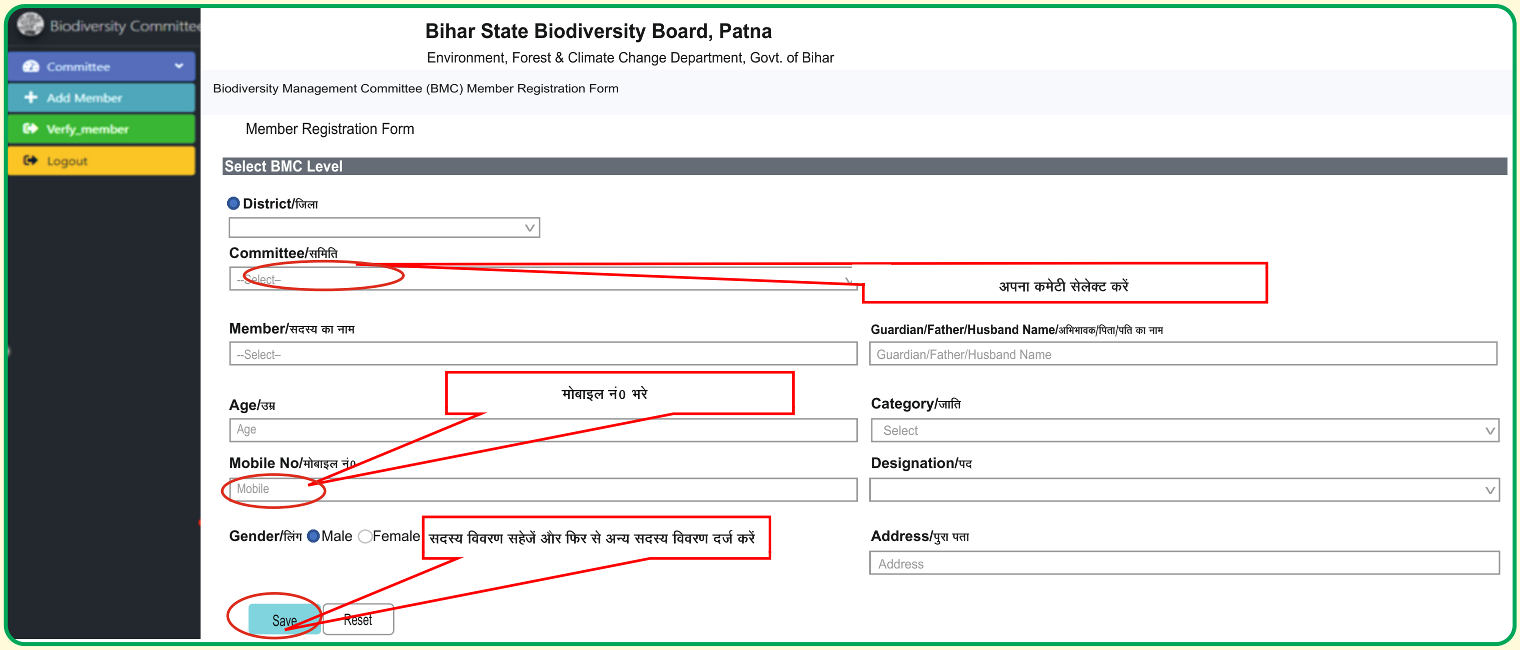

Step 5:- सदस्यों का सत्यापन करने के लिए सभी सदस्यों का डिटेल्स भरने के बाद "Verify Member" (Green Button) पर क्लिक करें। सभी सदस्यों का जाँच कर लें। त्रुटि को संसोधित करने हेतु Add Member में जायें एवं नाम आदि की त्रुटि सुधार लें। इसके बाद नीचे Choose file button पर क्लिक कर जिला परिषद् के प्रस्ताव का File Attachment अपलोड कर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर दें।

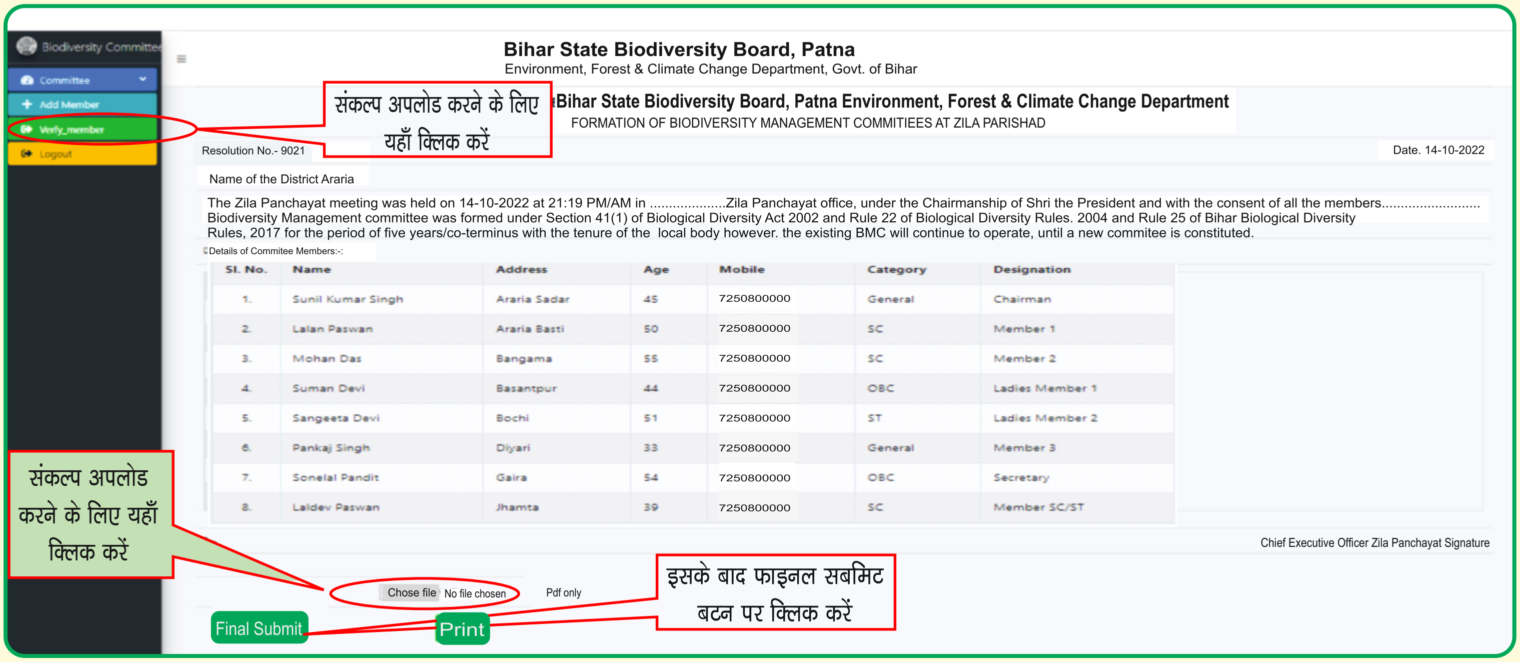

Sl. No.	Name	Address	Age	Mobile	Category	Designation
1.	Sunil Kumar Singh	Araria Sadar	45	7250800000	General	Chairman
2.	Lalan Paswan	Araria Basti	50	7250800000	SC	Member 1
3.	Mohan Das	Bangama	55	7250800000	SC	Member 2
4.	Suman Devi	Basantpur	44	7250800000	OBC	Ladies Member 1
5.	Sangeeta Devi	Bochi	51	7250800000	ST	Ladies Member 2
6.	Pankaj Singh	Diyari	33	7250800000	General	Member 3
7.	Sonelal Pandit	Gaira	54	7250800000	OBC	Secretary
8.	Laldev Paswan	Jhamta	39	7250800000	SC	Member SC/ST

Note:- आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए डैशबोर्ड में जाकर रजिस्ट्रेशन स्टेटस टैब में क्लिक कर देख सकते हैं।

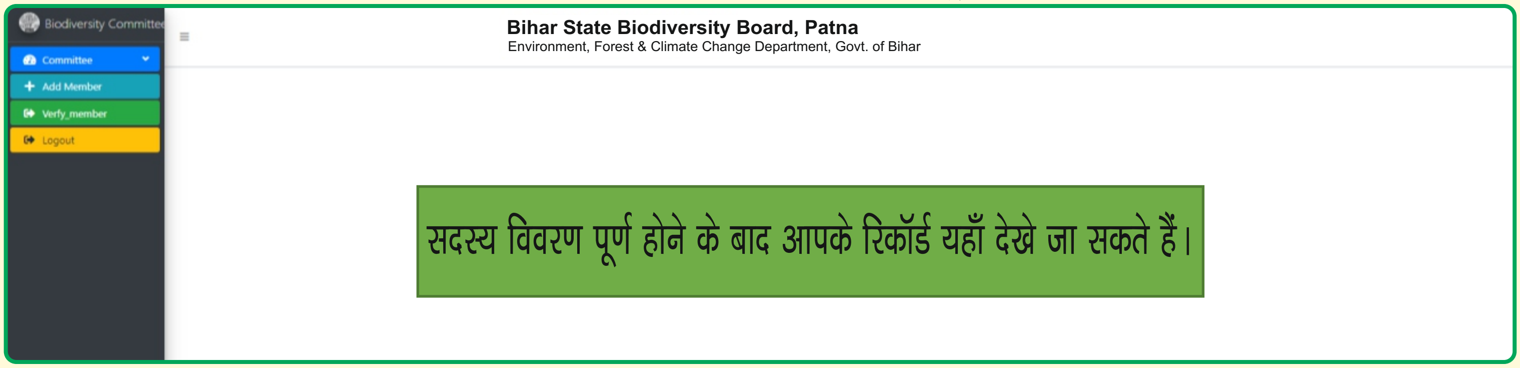

<u>जिला परिषद् का प्रस्ताव</u>

<u>जिला परिषद् स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी०एम०सी०) का गठन</u>

प्रस्ताव संख्याः .... दिनांकः ....

जिला परिषद्ः– .... जिलाः ....

श्री/श्रीमती ...., अध्यक्ष जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला परिषद् की एक बैठक दिनांक .... को समय .... बजे से स्थान .... पर संपन्न हुई जिसमें उपस्थित अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सहमति से जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) एवं जैव विविधता नियम, 2004 के नियम–22 और बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 की नियम–25 के आलोक में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है।

<u>समिति सदस्यों की विवरणी</u> :–

क्र॰ सं॰	पुरा नाम एवं पता	उम्र	समुदाय	कोटि	हस्ताक्षर	मोबाईल संख्या	नवीनतम स्टांप साईज फोटो
1.				अध्यक्ष			
2.				महिला सदस्य			
3.				महिला सदस्य			
4.				अनु० जाति/अनु० जनजाति सदस्य			

5.				सदस्य			
6.				सदस्य			
7.				सदस्य सचिव			

जैव विविधता प्रबंधन समिति निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी–

1. अपने कार्य क्षेत्र में जैव संसाधनों का संरक्षण एवं उनका पोषणीय उपयोग।
2. अपने कार्य क्षेत्र में जैव संसाधनों का गैर कानूनी संग्रहण रोकना।
3. जैव संसाधनों से संबंधित विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को अपना मंतव्य देना।
4. अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए संग्रहण/पहुँच की स्थिति में नियमानुकुल शुल्क अधिरोपित करना।
5. जैव संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैध एवं चिकित्सकों के आकड़े रखना।
6. जैव संसाधनों तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रति पहुँच अधिरोपित फीस के संग्रहण, अभिप्राय लाभ तथा उनके प्रभाजन की रीति के व्योरों के संबंध में जानकारी देने वाले रजिस्टर का संधारण।
7. स्थानीय जैव संसाधनों, उनके सहवद्ध पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता तथा ज्ञान संबंध में व्यापक जानकारी का अभिलेखीकरण।
8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के दिशा निर्देश के अनुसार जैव विविधता कोष का उपयोग तथा प्रबंधन करना।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–
मुहर

जिला परिषद् अध्यक्ष का हस्ताक्षर
नाम–
मुहर

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

बिहार सरकार

पाँचवा तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर

शास्त्री नगर, पटना- 800023

Website:- http://bsbb.bihar.gov.in/, https://www.bmcbihar.in/

E-mail:- bsbbbihar@gmail.com

Phone:- 0612-2952412

Contact for Any Query:- +91 9470405190, +91 7903599229